प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल
बिहार भूमि विवाद निराकरण वादसं०92/12–13
वीरेन्द्र यादव वनाम् राम प्रवेश यादव एवं अन्य
आदेश

26.02.13

आवेदक श्री वीरेन्द्र यादव पिता स्व०अशरफी यादव साकिन कोरियम थाना वो जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित जमीन को नापी कराकर आवेदक को कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम कोरियम थाना वो अंचल अरवल में अवस्थित है निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
338	2045	3 डी० में 1/2 डी०जानिब दक्षिण	उ०– बागेश्वरी यादव द०– पनु राम पू०– मथुरा पासवान प०– कामेश्वर महतो
343	1819	$5\frac{1}{4}$–डी०में से $\frac{1}{2}$	उ०–बागेश्वरी यादव द०–महेन्द्र यादव पू०–विजय यादव प०–शंकर सिंह

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षी की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित जमीन आवेदक की मौस्सी संपति है जो पिता के जीवनकाल में ही अपने दोंनों भाइयों के बीच मौखिक खानगी डयोढ़ाबंदी से प्राप्त हुआ जिसपर अपना–अपना हिस्सानुसार शांतिपूर्ण दखल काबिज है और आरी (मेंड़) का निर्माण भी दोंनों भाइयों ने कर लिया था।

(2) विपक्षी रामप्रवेश यादव ने आवेदक के भाई बागेश्वरी यादव जो विपक्षी सं०3 है,आवेदक के जमीन को लिखवा लिया है। उसी प्रकार विपक्षी सं०2 मंजू देवी ने प्रश्नगत भूमि जिसका खाता नं०338 खेसरा नं०2045 अंश रकवा 3 डी०में से $1\frac{1}{2}$डी०विपक्षी सं०3 से लिखवा लिया है।

(3) विपक्षीगण का आरोप कि आवेदक ने भी जमीन बेचा है,बिलकूल निराधार है। आवेदक ने अपना जमीन बेचा है जिसपर विपक्षी सं०3 का कोई हिस्सा नहीं था।

(4) प्रश्नगत भूमि जिसका खाता नं०343 खेसरा 1819 रकवा $5\frac{1}{4}$डी०,जिसपर दोनों भाइयों का बराबर का अधिकार है,बदलैन की भूमि है जो अवस्थित मौजा कोरियम,चन्द्रदीप मिस्त्री पिता एतवार मिस्त्री से

बदली किया हुआ भूमि है। स्पष्टतःसवा पॉच डीसमल में दोंनों भाई का बराबर का हिस्सा है। हिस्से के मुताबिक दोंनों भाइयों का आर बॉधकर अलग–अलग किया हुआ है।

(5) आवेदक अपना हिस्सा का रसीद भी,नामदहिन्दे श्री वीरेन्द्र सिंह यादव,भी कटता है जो प्रमाणित करता है कि दोंनों भाई अलग–अलग है।

(6) हिस्सा के मुताबिक आवेदक के नाम से भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र भी हासिल है।

(7) विपक्षी राम प्रवेश यादव वो मंजू देवी आवेदक के हिस्से वाली भूमि को अनैतिक तरीके से निबंधन कराकर विवाद खड़ा कर दिया है और हड़पना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मॉगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया हैं।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) वादी एवं प्रतिवादी 3 सहोदर भाई है जिनका वंशावली निम्न है:–

स्व०असरफी यादव

वीरेन्द्र यादव उर्फ नाथुन यादव — बागेश्वरी यादव

(2) स्व०असरफी यादव को कुल 3 बीधा जमीन थी। इस भूमि में से वादी ने प्रतिवादी नं०1 के हाथों दिनांक 29.06.09 को $10\frac{1}{2}$ डी०भूमि केवाला कर दिया। इसके बाद पुनः वादी ने दिनांक 19.06.011 को केवाला नं०3111 से जीतेन्द्र यादव पिता स्व०कुजी यादव के हाथों बिक्री करना शुरू कर दिया।

(3) प्रतिवादी सं०3 ने दिनांक 27.04.012 को प्रतिवादी सं०2 मंजू देवी को खाता 338 खेसरा 2045 रकव 1 कट्टा एवं प्रतिवादी सं०1 रामप्रवेश यादव को दिनांक 15.06.012 को खाता 343 खेसरा 1819 रकवा 6.25डी०जमीन का बिक्री कर दिया। जिसपर क्रेतागण का क्रय करने की तिथि से ही दखल कब्जा चला आ रहा है।

(4) वादी एवं प्रतिवादी सं०3 कुल भूमि 3 बीधा में से 10–10 कट्टा के लगभग बिक्री कर चुके है।

(5) वादी के द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में डीड कैन्सिलनामा वाद नहीं लाया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक वीरेन्द्र यादव एवं विपक्षी सं०3 बागेश्वरी यादव, सहोदर भाई है जिनके पिता का नाम स्व०अशर्फी यादव है। स्व०अशर्फी यादव के नाम लगभग 1.87 एकड़ जमीन की जमाबंदी 2012–013 में चल रही है। आवेदक द्वारा कहा

गया कि दोंनों भाइयों के बीच मौखिक खानगी बॅटवारा हो गया है परन्तु उनके द्वारा यह नहीं बताया गया कि कौन–कौन जमीन किसके किसके हिस्से में मिला। दोंनों भाइयों द्वारा जमीन का बिक्री किया गया है। इस परिस्थिति में आवेदक का कथन कि विवादित जमीन उनके हिस्से की है जिसे विपक्षी सं०3 बागेश्वरी यादव ने क्रमशः विपक्षी सं०1 राम प्रवेश यादव एवं विपक्षी सं०2 मंजू देवी को बिक्री कर दिया गया है,माना नहीं जा सकता है। वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

26.12

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

26.12

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।